भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	हाँ। दिनांक 12/4/2022 को किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न हैं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 औ0गंज के द्वारा भाग **II** में की गई अनुशंसा के आधार पर, रातापानी अभयारण्य अंतर्गत स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर, अभयारण्य के बाहर वनक्षेत्र में बसाने हेतु , परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्र पी 732 की कुल 55.000 हेक्टेयर वनभूमि को उपयोग पर देने के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 12.4.2022

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रविन्द्र सक्सेना)

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

12-4-22

E:/cf act year 2012/FCA-1980 proforma.doc

Scanned by CamScanner

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

भोपाल, दिनांक 12-4 2022

क्रमांक/मा.चि./ 816

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल

विषयः– रातापानी अभयारण्य अंतर्गत स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित किये जाने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम के तहत 55.000 हेक्टयेर वनभूमि के उपयोग की अनुमति बावत् प्रस्ताव।

ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक /FP/MP/FVC/152645/2022

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य औ0गंज का पत्र क्रमांक/माचि/1392 दिनांक 16/03/2022

---0---

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य औ0गंज ने संदर्भित पत्र द्वारा रातापानी अभयारण्य अंतर्गत स्थित **वनग्राम धुनवानी** को विस्थापित कर, अभयारण्य के बाहर वनक्षेत्र में बसाने हेतु, आवेदक, अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औ0गंज के प्रस्ताव अनुसार, तहसील सुल्तानपुर, वनपरिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी. एफ. 732 की कुल 55.000 हेक्टेयर वनभूमि, के उपयोग हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति बावत्, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में 9582 वृक्ष खड़े हैं। परन्तु इनमें से फलदार वृक्ष एवं प्रस्तावित सड़कों , घरों तथा खेतों के पास के कुछ पेड़ों को बचाया जा सकता हैं।

चूंकि अभयारण्य के अंदर स्थित ग्रामीणों को विस्थापित कर अभयारण्य के बाहर वनक्षेत्र में बसाया जाना हैं। इसलिये प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 55.000 हेक्टेयर वनभूमि के बदले, क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि, प्रस्तावित नहीं की गई हैं एवं वैकलिपक वृक्षारोपण हेतु योजना भी तैयार कर संलग्न नहीं की गई हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औ0गंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो प्रति में,** आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

मुख्य वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त,भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 817 **भोपाल, दिनांक** 12 4 **2022**

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित्।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल औ0गंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
3. अधीक्षक, रातापानी अभयारण्य , औ0गंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त,भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2022.doc

Scanned by CamScanner